



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 13.06.2022

1-थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा 04 अन्तर्राज्यीय गोमांस तस्कर(01 पुलिस मुठभेड़ में घायल) गिरफ्तार, कब्जे से 02 गाड़ियों में करीब 1500 किलोग्राम गोमांस, चोरी की मोटरसाइकिल, मांस छिलने वाले 02 चाकू, 01 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद।

दिनांक 12.06.2022 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के गोल चक्कर (मॉडल टाउन) से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर जाते हुये एनएच-24 से 03 अन्तर्राज्यीय गोमांस तस्कर 1.सिराज पुत्र इरफान निवासी वार्ड नं0-13, मस्जिद वाली गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद 2.रिजवान पुत्र साबिर अली निवासी वार्ड नं0-02, यासीन गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी गाजियाबाद 3.शहजाद उर्फ मुन्ना पुत्र लतीश निवासी वार्ड नं0-13, मस्जिद वाली गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से 02 गाड़ियों में करीब 1500 किलोग्राम गोमांस व मांस छिलने वाले 02 चाकू बरामद किये गये। मौके से अभियुक्तों का 01 साथी जुनैद पुत्र अबरार निवासी डासना वार्ड नं0 12 दूधिया पीपली, थाना मसूरी, गाजियाबाद फरार हो गया जिसको थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा दिनांक 13/06/2022 को चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायल अवस्था में छोटा डी पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त जुनैद के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स नम्बर डीएल4एसएजेड-5861 व 01 अवैध तमंचा मय 02 कारतूस (01जिंदा व 01 खोखा) बरामद हुए है।

विवरण:

अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग गोमांस की तस्करी दिल्ली के गाजीपुर मंडी के लिए डासना व हापुड से करते है। हम लोग अपने घर के आस-पास ही कटान करके मांस की सप्लाई करते है तथा काटे गये मांस को दिल्ली के एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई करते है।

अभियुक्तों का विवरण:

- 1.सिराज पुत्र इरफान निवासी वार्ड नं0-13, मस्जिद वाली गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद।
- 2.रिजवान पुत्र साबिर अली निवासी वार्ड नं0-02, यासीन गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी गाजियाबाद।
- 3.शहजाद उर्फ मुन्ना पुत्र लतीश निवासी वार्ड नं0-13, मस्जिद वाली गली, कस्बा डासना, थाना मसूरी, गाजियाबाद।
- 4.जुनैद पुत्र अबरार निवासी डासना वार्ड नं0 12 दूधिया पीपली, थाना मसूरी, गाजियाबाद।(पुलिस मुठभेड़ में घायल)

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

1. मु0अ0सं0-1647/19 धारा 11/3 पशुओं के क्रूरता का निवारण अधि0 थाना सूरजपुर, गौतबुद्धनगर बनाम जुनैद।
2. मु0अ0सं0-56/19 धारा 429 भादवि थाना मूसरी, जिला गाजियाबाद बनाम जुनैद।
3. मु0अ0सं0-62/19 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मूसरी, जिला गाजियाबाद बनाम जुनैद।
4. मु0अ0सं0-320/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मूसरी, जिला गाजियाबाद बनाम जुनैद।
5. मु0अ0सं0-253/22 धारा 3/5/8 गोवध नि0 अधि0 थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम सिराज, रिजवान, शहजाद व जुनैद
6. मु0अ0सं0-254/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम सिराज।
7. मु0अ0सं0-255/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम रिजवान।
8. मु0अ0सं0-256/22 धारा 307 भादवि थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम जुनैद।
9. मु0अ0सं0-257/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर-58, नोएडा बनाम जुनैद।

बरामदगी का विवरण:

1. 02 गाड़ियां पिकप (छोटा हाथी) न0 डीएल1एलईई-9001 व यूपी14केटी-1418
2. 1500 किलोग्राम गोमांस
3. मांस छिलने वाले 02 चाकू
4. चोरी की मोटरसाइकिल सीडी डीलक्स न0 डीएल4एसएजेड-5861
5. 01 अवैध तमंचा मय 02 कारतूस (01जिंदा व 01 खोखा)



2-थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा गाड़ियों का शीशा तोडकर लैपटॉप व अन्य सामान आदि चोरी करने वाले मदनगिरि गिरोह का सदस्य गिरफ्तार, कब्जे से विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित 21,000 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व एक गुलैल व गुलैल की गोलियों की डिब्बी बरामद।

दिनांक 12.06.2022 को थाना सेक्टर-113 नोएडा पुलिस द्वारा गाड़ियों का शीशा तोडकर लैपटॉप व अन्य सामान चोरी करने वाले मदनगिरि गिरोह का सदस्य अमर कुमार पुत्र अरूण शर्मा निवासी एच-01/328 मदनगिरि, थाना अम्बेडकरनगर, नई दिल्ली वर्तमान पता-ई-170, शिवदुर्गा विहार, लक्करड़पुर, थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा को थाना क्षेत्र के महागुन टी-प्वाँईट सेक्टर-76 नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित 21,000 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0-डीएल 3 एसडब्लू 6254 व एक गुलैल व गुलैल की गोलियों की डिब्बी बरामद हुए है।

अभियुक्त का विवरण:

अमर कुमार पुत्र अरूण शर्मा निवासी एच-01/328 मदनगिरि, थाना अम्बेडकरनगर, नई दिल्ली वर्तमान पता-ई-170, शिवदुर्गा विहार, लक्करड़पुर, थाना सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0-860/21 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
- 2.मु0अ0सं0-905/21 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
- 3.मु0अ0सं0-1035/21 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
- 4.मु0अ0सं0-1103/21 धारा 379 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
- 5.मु0अ0सं0-1134/21 धारा 414 भादवि थाना सेक्टर-49, गौतमबुद्धनगर।
- 6.मु0अ0सं0-252/22 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।
- 7.मु0अ0सं0-165/22 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-113, गौतमबुद्धनगर।
- 8.मु0अ0सं0-285/22 धारा 379/427 भादवि थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
- 9.मु0अ0सं0-328/22 धारा 379/427 भादवि थाना सेक्टर-39, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण:

- 1.विभिन्न मुकदमों से सम्बन्धित 21,000 रूपये नगद
- 2.घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल नं0-डीएल 3 एसडब्लू 6254
- 3.एक गुलैल व गुलैल की गोलियों की डिब्बी



#उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह व डीएम गौतमबुद्धनगर सुहास एलवाई द्वारा शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सभी धर्मों के गुरुओं के साथ मीटिंग की गई।

सोशल मीडिया पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रखी जा रही है कड़ी नजर,ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आने पर प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा की जाएगी तत्काल कड़ी कार्यवाही

जनपद में सभी धर्म गुरुओं के सहयोग से आपसी सौहार्द कायम आगे भी उसी प्रकार की, की गई अपेक्षा

उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप जनपद गौतम बुद्ध नगर में मानकों के अनुरूप कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम करने तथा आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 13/06/2022 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय, सेक्टर-108 के सभागार में पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर आलोक सिंह व डीएम गौतमबुद्धनगर सुहास एलवाई द्वारा शांति व्यवस्था व आपसी सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से सभी धर्मों के गुरुओं के साथ महत्वपूर्ण मीटिंग की गई। मीटिंग में पुलिस कमिश्नर द्वारा सभी धर्म गुरुओं को संबोधित करते हुए उनको शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देने, अपने-अपने धर्म के लोगों को समझाने व आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए बताया गया। धार्मिक स्थलों के आसपास सीसीटीवी कैमरे लगवाने, किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने, अफवाह फैलाने का प्रयास करने वाले लोग की सूचना तुरंत पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को देने व अपने-अपने धर्म के लोगों के साथ मीटिंग कर बातचीत करने के लिए कहा गया। उनके द्वारा बताया गया की सोशल मीडिया पर भी पुलिस द्वारा हर समय कड़ी नजर नजर रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी, धार्मिक भावनाएं भड़काने या दुष्प्रचार करने का प्रयास करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।

पुलिस कमिश्नर द्वारा विशेष तौर पर युवाओं को धर्मगुरुओं के माध्यम से संदेश देते हुए कहा गया कि युवा किसी भी अफवाह में पड़कर कोई भी ऐसा कृत्य ना करे जो विधि के विरुद्ध हो अन्यथा कठोर कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा जो उनके परिवार और भविष्य को परेशानी में ला सकता है।

पुलिस कमिश्नर द्वारा धार्मिक गुरुओं से संवाद किया गया और उनसे उनकी समस्याओं के बारे में भी पूछा गया एवं बताया गया कि कोई भी परेशानी होने पर तुरंत नजदीकी थाने पर सूचना दी जाए, जिससे तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। धार्मिक गुरुओं से संवाद के दौरान पुलिस कमिश्नर द्वारा बताया गया कि सभी लोगों के सहयोग से कमिश्नर की शांति व्यवस्था बनी हुई है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सभी लोगों से सुझाव भी मांगे गए एवं उन्हें पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के बारे में भी जागरूक किया गया।

सभी अधिकारीगणों व उपस्थित सम्भ्रांत व धर्मगुरुओं ने राष्ट्रगान गाते हुए कार्यक्रम का समापन किया तथा राष्ट्रीय एकता व बंधुता का संदेश दिया।

मीटिंग के दौरान ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार,अपर पुलिस आयुक्त भारती सिंह, जिलाधिकारी सुहास एल. वाई. सहित सभी जोन के डीसीपी व कमिश्नर के सभी थाना क्षेत्रों से विभिन्न धर्मों के करीब 250 धर्मगुरु व सम्भ्रांत नागरिक उपस्थित रहे।

